केंद्रीय सूचना आयोग

फा.सं. सी आई सी/ए टी/ए/2010/000757

दिनांक 12 नवम्बर, 2010

अपीलकर्ता : श्री डी.पी.भाटिया

प्रतिवादी : सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली ।

यह मामला आयोग के दिनांक 13/10/2010 के नोटिस के अनुसरण में दिनांक 3/11/2010 को सुनवाई हेतु आया । अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित था जबकि प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व डा. शोभित जैन, उपायुक्त एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और श्री संजीव यादव, सतर्कता अधिकारी ने किया।

2. अपीलकर्ता ने लोक प्राधिकरण के सतर्कता विभाग के समक्ष श्री संसार चंद, अपर आयुक्त के विरूद्ध दिनांक 31/10/2009 को और अब दिनांक 19/02/2010 के अपने आर टी आई आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमें उसकी शिकायत पर प्राप्ति की तारीख से दिनांक 19/02/2010 तक की गई कार्रवाई का तारीख वार जानकारी चाही गई है। इसके अलावा वे इस संबंध में किए गए संपूर्ण पत्राचार की फोटोकापियों के साथ साथ नोट सीटों की प्रतियां प्राप्त करना चाहते हैं।

3. द्वितीय अपील में अपीलकर्ता की यह दलील है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 18/03/2010 और 22/4/2010 के अपने सम्बद्ध पत्राचारों/आदेशों के माध्यम से इस आधार पर पत्राचारों और नोट–सीटों की प्रतियां देने से मना किया था कि उक्त मामले को देखने वाले अधिकारियों के नामों का प्रकटन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (जी) के अंतर्गत वर्जित है।

4. अपीलकर्ता ने प्रतिवादियों द्वारा बताए गए कारणों को निराधार बताया । उन्होंने दावा किया है कि उसे यह जानने का अधिकार था कि लोक प्राधिकरण ने अपर आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क जिनके विरूद्ध अपीलकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी, के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई।

5. प्रतिवादियों ने अपनी यह बात दोहराई कि लोक प्राधिकरण के एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी के खिलाफ शिकायत करने जैसे संवेदनशील मामले में फाइल पर टिप्पणियों के ब्यौरों को प्रकट करना इन टिप्पणियों को लिखने वाले अधिकारियों के लिए जोखिमपूर्ण था, इस संबंध में उनकी यह दलील थी कि चूंकि फाइल पर टिप्पणियां करने वाले अधिकारी अपनी टिप्पणियों को किसी गोपनीय फाइल में गुप्त रूप से दर्ज कर रहे थे, उनका जवाब था कि निर्णय लेने के लिए जानकारी प्राप्त करने का माध्यम थे और सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (छ) के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

6. प्रतिवादियों ने आगे यह उल्लेख किया कि अपीलकर्ता की मूल शिकायत याचिका जिसके बारे में आरंभ में सतर्कता विभाग द्वारा कार्यवाही की गई थी, को लोक प्राधिकरण के मानव संसाधन विकास विभाग को दिनांक 4/2/2010 को भेजी गई थी जहां सामान्यतया ऐसे मामलों में सभी कार्रवाई अवस्थित होती है। अतः उन्होंने दावा किया कि अपीलकर्ता की इस शिकायत के मामले में उनके स्तर पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जानी थी ।

7. निर्णय के बारे में संक्षिप्त मुद्दा यह है कि क्या सतर्कता फाइलों में फाइल की गई टिप्पणियों को प्रकट करने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

8. यह मामला के.एल.बब्लानी एवं महानिदेशक, सतर्कता, सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ;अपील सं. सी आई सी / एट / ए / 2009 /0617, निर्णय की तारीख : 16-9-2009 में दिए गए आयोग के निर्णय के दायरे में आता है जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि सतर्कता फाइलों में फाइल की टिप्पणियों को प्रकट करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये लोक प्राधिकरण द्वारा गोपनीय रूप से रखी गई सूचना के बराबर है और इसलिए यह सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (एन) के साथ पठित धारा 11 (1) के विषय क्षेत्र में आती है। उक्त आदेश के प्रचालन भाग का पाठ निम्नानुसार है:–

"6. यह कोई पहला मामला नहीं है जिसमें किसी लोक प्राधिकरण कर्मचारियों ने अपने विरूद्ध दायर सतर्कता और अनुशासनिक जांच के मामलों में फाइल की टिप्पणियों के प्रकटन की मांग की है। अधिकतर मामलों में इसका प्रयोजन इस बात का पता लगाना होता है कि किन अधिकारियों की फाइल की गई टिप्पणियों में उनके आचरण के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया है, किन अधिकारियों ने प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया है। ऐसे कर्मचारी यह बात जानते

हैं कि इन्हीं टिप्पणियों में सक्षम प्राधिकरी द्वारा अन्ततः उनके पक्ष में अथवा उनके विरूद्ध निर्णय लिया जाता है और वे अपने विभिन्न प्रयोजनों के लिए इन टिप्पणियों को दर्ज करने वाले अधिकारियों के साथ साथ उनकी टिप्पणियों की जानकारी पाने का प्रयास करते हैं, ताकि वे उनका इस्तेमाल उन अधिकारियों के बारे में / खिलाफ अपनी मुहिम चलाने के लिए कर सके। कुछ मामलों में तो यह भी हुआ है कि जब अधिकारियों द्वारा ऐसी संवेदनशील फाइलों में दर्ज की गई उचित टिप्पणियों को उस व्यक्ति के सामने प्रकट किया गया जिसके बारे में ऐसी टिप्पणियां दर्ज की गई थी तो संबंधित अधिकारी को अदालती कार्रवाई, मानहानि के नोटिस और इसी रूप में दंड भुगतना पड़ा । कुछ मामलों में तो धमकी का सहारा भी लिया गया था।ऐसी टिप्पणियां दर्ज करने वाले अधिकारी उन अधिकारियों से कनिष्ठ थे जिनके विरूद्ध मामलों में कार्रवाई की जा रही थी । स्वाभाविक रूप से टिप्पणियां दर्ज करने वाला अधिकारी अपनी पहचान को कभी प्रकट करना नहीं चाहेगा क्योंकि कहीं ऐसा न हो जाए कि बाद में सेवा के किसी चरण में उसे उस वरिष्ठ अधिकारी का शिकार होना पड़े जिसके आचरण की जांच करना उसका दायित्व बन गया। अतः फाइलों की टिप्पणियों की गोपनीयता समग्र रूप से हितकर सिद्धांत है। जो कि सुशासन में सहायक है । उन अधिकारियों जिन्हें मामलें में कार्यवाही का कार्य सौंपा गया था के बारे मं जानकारी देकर फाइल में मौजूद मामले में कार्रवाई करने की वस्तुनिष्ठता के साथ किसी तरह की लिपापोती करके अनुचित रूप से और कभी – कभार संबद्ध पक्षों द्वारा कार्रवाई से जुड़े अधिकारियों को धमकाये जाने, जांच कराने की बातें करना शासन के लिए व्यापक रूप से क्षतिपूर्ण हो सकता है।

1. अतः मेरा विश्वास है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी, जो सतर्कता और अनुशासनिक मामलों जैसे गोपनीय मामलों की संवेदनशील फाइलों में की गई टिप्पणियों को रोक लेने के लिए प्राधिकृत हैं, कतिपय परस्थितियों से संतुष्ट होने पर , सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (ढ) के साथ पठित धारा 11 (1) के अंतर्गत ऐसे गोपनीय दस्तावेज़ों (फाइल – टिप्पणियों को) को भी रोक सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (ढ) में कहा गया है कि ....कोई लोक प्राधिकारी जो किसी तीसरे पक्ष से संबद्ध गोपनीय सूचना रखता है , को मुहैय्या करा सकता है। चूंकि उक्त जानकारी “तीसरे पक्ष ” की जानकारी होने की अपेक्षा को पूरा करती है, गोपनीय होने के साथ–साथ यह धारा 11 (1) के————————————————के दायरे में भी आती है।

2. यह मामला गोपनीय तीसरे पक्ष की गोपनीय जानकारी होने के रूप में पूरी तरह धारा 11 (1) के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसे प्रकट किए जा सकने का कारण यही हो सकता है कि यह अन्यथा किसी रूप में न होकर लोक हित में है । यह सिद्ध किए जाने की जरूरत है कि यदि ऐसी जानकारी को प्रकट किया जाना है तो क्या लोकहित संरक्षित हित से ऊपर है ....

10. मैं यह नहीं समझता कि धारा 10 (1) को लागू करने तथा फाइल पर टिप्पणियां लिखने वालों के नामों को छिपाने से कोई हल निकलेगा। जैसा कि प्रतिवादियों द्वारा ठीक ही उल्लेख किया गया है, टिप्पणियां लिखने वालों के नामों के बिना भी इन टिप्पणियों को लिखने वालों की पहचान उन उच्चाधिकारियों के संदर्भ से जिनके माध्यम से फाइल गुजरी है, के साथ साथ उस हस्तलिपि से भी प्रकट हो सकती है जिसमें उक्त टिप्पणियां दर्ज की गई थी।"

9. उक्त आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि सतर्कता विभाग जैसे संवेदनशील विभाग के अधिकारियों को उनके कर्तव्यपालन में बाहरी तत्वों की खोजी निगाहों से सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है ।

10. उपर्युक्त के अनुरूप यह निर्णय दिया जाता है कि ऊपर की गई पूछताछ के संबंध में कोई प्रकटन नहीं किया जाएगा ।

11. इन्हीं निदेशों के साथ मामले का निपटारा किया जाता है।

12. इन निर्देशों की प्रति सम्बद्ध पक्षों को भेजी जाए ।

(ए. एन. तिवारी)
मुख्य सतर्कता आयुक्त